

**न्यायालय :- द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट (म.प्र.)**  
(पीठासीन अधिकारी- माखनलाल झाड़)

**R.C.A. 28/2017**

Filling No- RCA/207/2017

संस्थित दिनांक - 26.03.2015

1- अजय कुमार आयु 45 वर्ष पिता घनश्याम जाति कलार  
साकिन-बिठली तहसील बैहर जिला बालाघाट- - - **अपीलार्थी**

**// / विरुद्ध // /**

1- दानबहादुर ठाकरे आयु 56 वर्ष पिता अमृतलाल जाति पंवार  
सी.ओ. कार्यालय मैगनीज ओर इंडिया लिमिटेड उकवा खान

2- मुरली ठाकरे आयु 42 वर्ष पिता ईशुलाल जाति पंवार  
निवासी-उकवा तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट

3- सेवकुमार आयु 40 वर्ष पिता योगराज  
निवासी-उकवा तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट

4- रामकुमार आयु 57 वर्ष पिता जगन्नाथ जाति बनिया  
निवासी-उकवा तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट

5- म0प्र0 शासन तर्फे कलेक्टर महोदय बालाघाट - - **उत्तरवादीगण**

{न्यायालय: व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 बैहर तत्कालीन  
पीठासीन अधिकारी श्री डी.एस. मंडलोई द्वारा व्य.वाद क.  
25ए/2014, अजय बनाम दानबहादुर वगैरह में पारित  
निर्णय दिनांक 16.02.2015 से क्षुब्ध होकर धारा 96 व्य.प्र.स.  
के तहत यह अपील पेश की है}

श्री बी0एल0 राणा अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी।

श्री आर.आर. पटले अधिवक्ता वास्ते उत्तरवादी क्रमांक-1, 2

श्री गणेश गोंडाने अधिवक्ता वास्ते उत्तरवादी क्रमांक-3, 4

उत्तरवादी क्रमांक 5 म0प्र0 राज्य पूर्व से अनुपस्थित।

**- / / / निर्णय / / / -**

(आज दिनांक 14 अक्टूबर 2017 को घोषित)

1. अपीलार्थी/वादी ने यह नियमित व्यवहार अपील न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 बैहर तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री डी.एस. मण्डलोई बैहर द्वारा व्य.वाद क. 25ए/2014, अजय बनाम दानबहादुर वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.02.2015 से क्षुब्ध होकर पेश की है, का निराकरण किया जा रहा है।

2. पक्षकारों के मध्य स्वीकृत तथ्य यह है कि उभयपक्ष शीर्ष खंड में वर्णित स्थान के स्थानीय निवासी है। प्रतिवादी क्रमांक 5 म.प्र. शासन है जिसे औपचारिक पक्षकार बनाया है जिससे कोई अनुतोष नहीं चाहा है। विवादित भूमि म.प्र. कृषि जोत अधिनियम के अंतर्गत नहीं आती है। इस भूमि के संबंध में कोई सिलिंग एक्ट का प्रकरण नहीं चला है न ही निराकृत हुआ है।

3. वादी के वाद का सार यह है कि उभयपक्ष शीर्ष खंड में लेख पते पर निवास करते हैं। वादी ने रामकिशोर को मुख्यार खास नियुक्त किया है। ग्राम उकवा प.ह.न. 25 तहसील बैहर जिला बालाघाट स्थित ख.क्र. 157/3 रकबा 0.12 एकड़ जमा 2/-वादी भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी है। उक्त भूमि वादी के पिता के फौत होने पर उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है तबसे वादी का राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज हैं किंतु भूमि खाली रहने के कारण प्रति.क्र. 1 व 2 ने अवैध रूप से उक्त भूमि के अंश भाग 7 डिसमिल पर तथा प्रति.क्र. 3 ने 2.5 डिसमिल पर, प्रति.क्र. 4 ने 1/2 डिसमिल भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, संडास बना लिया है। वादी ने प्रति.क्र. 1 से 4 को कब्जा छोड़ने के लिए कहा तो मना किया। सीमांकन दिनांक 2.7.11 को राजस्व निरीक्षक एवं प.ह.न. 25 व गांव के लोगों की उपस्थिति में कराया गया जिसमें उक्तानुसार कब्जा पाया गया। कुल 8 डिसमिल पर अवैध कब्जा सीमांकन में आने पर प्रतिवादीगण ने कोई आपत्ति नहीं की। सीमांकन के आधार पर कब्जा छोड़ने कहा। प्रतिवादीगण ने आश्वासन दिया कि वे कब्जा छोड़ देंगे। दिनांक 10.12.2012 को पुनः कब्जा छोड़ने के लिए कहा तो वे मारने, पीटने पर आमादा हो गये।

4. दिनांक 10.12.2012 को वादी, प्रतिवादीगण के व्यवहार से भयभीत हो गया, वादी को अपूरणीय क्षति की संभावना है। वादभूमि पर प्रतिवादीगण को प्रवेश करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे। वादी का वाद सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में है। वाद में सफल होने की संभावना है। स्वत्व की घोषणा हेतु मूल्यांकन 1000/-रुपए कर 500/-रुपए न्यायालय शुल्क अदा है। स्थायी निषेधाज्ञा हेतु 2004/-रुपए अदा कर न्यायालय शुल्क अदा है, वाद न्यायालय की क्षेत्राधिकार में होकर समय सीमा में है। ख.क्र. 157/3 रकबा 12 डिसमिल पर स्वत्व प्राप्ति पर वादी का हकदार है।

5. प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 ने वादोत्तर तथा प्रतिदावा पेश कर स्वीकृत तथ्य को छोड़कर वादपत्र के संपूर्ण अभिवचन को गलत, मनगंढत

निराधार होना लेख किया है। वाद का सही मूल्यांकन न कर वांछित न्यायालय शुल्क चस्पा नहीं है। वाद परिसीमा में नहीं है। वाद भूमि पर प्रति.क्र. 1, 2 का कब्जा 1967 से चला आ रहा है, वाद अवधिबाह्य है। प्रतिदावा पेश कर अभिवचन किया है कि गंगाराम पिता जागोबा कोष्ठी निवासी उकवा तहसील बैहर से प्रति.क्र. 1 के पिता अमृतलाल वल्द ज्ञानीराम तथा प्रति.क्र. 2 के पिता ईशुलाल पिता ज्ञानीराम ने ख.क्र. 103 से 5 डिसमिल भूमि तथा 157 में से 5 डिसमिल भूमि पंजीकृत विक्रय विलेख निष्पादित कराकर क्रय कर 1967 में प्राप्त किया तबसे लगातार कब्जे में है, क्रेतागण की मृत्यु के बाद प्रति.क्र. 1 व 2 का नाम दर्ज होकर कब्जा चला आ रहा है। वादी और उसके परिवार के अन्य लोगों ने वादभूमि के संबंध में कभी अपनी भूमि कहकर विवाद नहीं किया। वादभूमि पर वादी का त्रुटिवश नाम दर्ज है जिसका वह दुरुपयोग कर रहा है। वाद अवधिबाह्य होने से पोशनीय नहीं है। वाद स्वीकार किए जाने से प्रति.क्र. 1, 2 को परिमित क्षति होगी। प्रतिदावा में घोषणा हेतु मूल्यांकन 1,000/-रुपए तथा स्थायी निषेधाज्ञा हेतु 1,000/-रुपए कर 620/-रुपए न्यायालय शुल्क अदा की जा रही है। प्रतिदावा डिक्री किए जाने की याचना की है।

6. प्रति.क्र. 3 व 4 ने वादोत्तर सह प्रतिदावा पेश किया है, का सार यह है कि वादपत्र का संपूर्ण अभिवचन असत्य होने से अस्वीकार कर प्रतिदावा पेश कर लेख किया है कि ख.क्र. 157/3 में प्रति.क्र. 3 व 4 ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। ख.क्र. 156/6 रकबा 2 डिस. भूमि प्रति.क्र. 3 के पिता इशुलाल पिता दादूलाल ने दिनांक 18.02.1991 को क्रय की तथा प्रति.क्र. 4 ने प्रति.क्र. 3 से 2 डिसमिल भूमि क्रय की जिसका ख.क्र.156/11 हुआ। ख.क्र. 156/10 में से 2.5 डिस. भूमि प्रति.क्र. 4 ने 1995 में क्रय की। विक्रय विलेख का निष्पादन दिनांक 19.04.1995 को किया गया। नामजोक करने के बाद शांतिपूर्ण कब्जा प्रति.क्र. 4 का चला आ रहा है। उक्त विक्रय विलेख निरस्त कराने के लिए 3 वर्ष में वाद पेश करना चाहिए था, वाद परिसीमा बाह्य है। प्रति.क्र. 3 व 4 वादी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है। प्रति.क्र. 3, 4 के स्वत्व की भूमि पर वादी का नाम त्रुटिपूर्ण दर्ज है। प्रतिदावे का मूल्यांकन 1000 + 1000 रुपए कर 240/-रुपए न्यायालय शुल्क अदा है। वादी को प्रतिवादीगण के कब्जे में हस्तक्षेप करने से स्थायी रूप से निषेधित किया जावे।

7. प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के प्रतिदावे का लिखित कथन वादी ने पेश कर संपूर्ण अभिवचन इंकार किया है। प्रतिदावे में लेख तथ्यों को असत्य, विधिवत न होना, आधारहीन होना, औचित्यहीन होना, बंधनकारी न होना लेख कर विशिष्ट कथन में वादपत्र की विषय-वस्तु व अभिवचन की पुनरावृत्ति की है।

8. प्रतिवादी क्रमांक 3 व 4 के प्रतिदावे का लिखित कथन पेश कर प्रतिदावा झूठे आधार पर मिथ्या होना लेख कर इंकार करते हुए विशिष्ट कथन कर वादपत्र के अभिवचनों की पुनरावृत्ति की है।

9. प्रस्तुत अपील के आधार का सार यह है कि विचारण न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय के खंड क्रमांक 27 के अनुसार आज्ञाप्ति पारित की गई है कि मौजा उकवा प.ह.न., 25 रा.नि.मं. उकवा, तहसील परसवाडा जिला बालाघाट स्थित ख.क्र. 157/3 रकबा 8 डिसमिल भूमि पर प्रतिवादीगण के कब्जे में वादी दखल अंदाजी नहीं करेगा। यह निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है। वादप्रश्न की विरचना नहीं की गई है। प्र.डी. 2 लगायत प्र.डी. 8 के दस्तावेजों का मूल्यांकन कर वादप्रश्न क्रमांक 3 प्रमाणित माना है जो न्यायसंगत नहीं है, साक्ष्य के मूल्यांकन में त्रुटि की है। साक्ष्य की विवेचना में त्रुटि की है। प्रतिवादीगण के पक्ष में वादप्रश्नों को और वादी के विरुद्ध निष्कर्षित कर त्रुटि की है। प्रतिवादी पक्ष के मुख्य कथनों को आधार बनाकर निष्कर्षित कर त्रुटि की है। दस्तावेजी साक्ष्य का सही मूल्यांकन नहीं किया है, स्वत्व का निर्धारण किए बिना दावा निरस्त किया है। अपील स्वीकार कर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.02.2015 को अपास्त किए जाने की याचना की है तथा अवैध निर्माण हटाकर तोड़कर रिक्त आधिपत्य दिलाए जाने की याचना की है।

10. अपील के निराकरण हेतु अधोलिखित प्रश्न निर्मित किए जाते हैं :-

क्या विद्वान विचारण न्यायालय ने व्यवहार वाद क्र. 25ए/2015 अजय बनाम दानबहादुर वगैरह के वाद में पारित निर्णय एवं आज्ञाप्ति दिनांक 16.02.2015 में अशुद्धता होने, तथ्य विषयक त्रुटि होने एवं विधि की त्रुटि होने एवं साक्ष्य के मूल्यांकन में त्रुटि होने से हस्तक्षेप योग्य है ?

**विचारणीय प्रश्न का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष:-**

11. अजय (वा.सा. 3) जो स्वयं वादी है, ने आदेश 18 नियम 4 सी. पी.सी. के तहत पद क्रमांक 1 लगायत 3 में मुख्य कथन पेश किया है, के



पश्चात् आमिर ट्रेडिंग कार्पोरेशन कंपनी विरुद्ध शापुरजी डाटा प्रोसेसिंग लिमिटेड ए.आई.आर.2004 सु.को. 355 में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार आदेश 18 नियम 5 एवं 13 सी.पी.सी. की मंशानुसार टीप अंकित नहीं है, इसलिए मुख्य कथन साक्ष्य में पढ़े जाने योग्य नहीं है।

12. इसी प्रकार रामकिशोर चौकसे (वा.सा.1) जो कि वादी का मुख्तयार खास है, संतोष कुमार चौकसे (वा.सा.2) जो वादी का भाई है के मुख्य कथन के पश्चात् भी आमिर ट्रेडिंग कार्पोरेशन कंपनी विरुद्ध शापुरजी डाटा प्रोसेसिंग लिमिटेड ए.आई.आर.2004 सु.को. 355 में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार आदेश 18 नियम 5 एवं 13 सी.पी.सी. की मंशानुसार टीप अंकित नहीं है, इसलिए मुख्य कथन साक्ष्य में पढ़े जाने योग्य नहीं है।

13. अजय कुमार (वा.सा. 3) ने कोई दस्तावेज प्रदर्शित नहीं कराया है। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 5 में यह स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादीगण का किस तारीख, माह से कब्जा चला आ रहा है उसे नहीं मालूम। यह स्वीकार किया है कि साक्षी ने प्रतिवादीगण को किस तारीख व महीना को कब्जा छोड़ने कहा नहीं मालूम। इस प्रकार न तो वादपत्र में वाद कारण उत्पन्न होने का अभिवचन है और न ही साक्ष्य में वाद कारण उत्पन्न होने का कथन है। शेष संपूर्ण प्रतिपरीक्षण को लेख किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

14. रामकिशोर (वा.सा.1) ने मुख्य कथन के पद क्रमांक 5 में प्र.पी. 1 लगायत प्र.पी. 7 के दस्तावेजों को प्रदर्श अंकित कराया है। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 7 में स्वीकार किया है कि प्रति.क्र. 1 व 2 के द्वारा जो प्रतिदावा पेश किया है उसका साक्षी ने जवाब पेश नहीं किया है। यह स्वीकार किया है कि किस तारीख, महीने को जमीन पर कब्जा कर लिया कि जानकारी अजय चौकसे ने साक्षी को दी थी वह नहीं बता सकता। यह स्वीकार किया है कि अजय चौकसे किस तारीख, महीने को उसका, धमकाया गया नहीं बता सकता।

15. पद क्रमांक 8 में स्वीकार किया है कि प्रकरण में संलग्न विक्रय विलेख के दस्तावेज से वादग्रस्त भूमि ख.क्र. 157/3 मौजा उकवा के क्रेता अमृतलाल, इशुलाल पिता ज्ञानीराम तथा विक्रेता गंगाराम पिता जागो का साकिन उकवा दर्ज है। यह विक्रय विलेख 07.12.1967 का है। जमीन के मालिकाना हक का हस्तांतरण रजिस्ट्री के दस्तावेजों के आधार पर ही होता

है। ख.क्र. 157/3 उक्त दस्तावेज में विक्रय लिखा है। विक्रय विलेख के द्वितीय पृष्ठ पर संशोधन क्रमांक 213 दिनांक 01.03.1968 द्वारा संशोधन किया जाना लेख है। यह स्वीकार किया है कि दानबहादुर अमरलाल का और मुरली इशुलाल का पुत्र है। उक्त साक्षी के शेष प्रतिपरीक्षण को लेख किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

16. संतोष (वा.सा. 2) ने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 7 में रामकिशोर वा.सा.1 के साक्ष्य के समान कथन किए हैं इसलिए पुनरावृत्ति किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

17. दानबहादुर (प्रति.सा. 1) ने अपना मुख्य कथन आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत पेश किया है। मुख्य कथन के पश्चात् आमिर ट्रेडिंग कार्पोरेशन कंपनी विरुद्ध शापुरजी डाटा प्रोसेसिंग लिमिटेड ए.आई.आर.2004 सु.को. 355 में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार आदेश 18 नियम 5 एवं 13 सी.पी.सी. की मंशानुसार टीप अंकित है, इसलिए मुख्य कथन साक्ष्य में पढ़े जाने योग्य है। इस साक्षी ने मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 11 में विक्रय विलेख दिनांक 04.11.1967 की असल रजिस्ट्री को प्र.डी. 1 अंकित किया है। इस साक्षी के संपूर्ण प्रतिपरीक्षण को लेख किए जाने की आवश्यकता है।

18. भारत कुमार (प्रति.सा. 2) एवं रामकुमार अग्रवाल (प्रति.सा.3) के मुख्य कथन के पश्चात् आमिर ट्रेडिंग कार्पोरेशन कंपनी विरुद्ध शापुरजी डाटा प्रोसेसिंग लिमिटेड ए.आई.आर.2004 सु.को. 355 में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार आदेश 18 नियम 5 एवं 13 सी.पी.सी. की मंशानुसार टीप अंकित नहीं है, इसलिए मुख्य कथन साक्ष्य में पढ़े जाने योग्य नहीं है। भारत कुमार (प्रति.सा.2) न्यायालय के समक्ष प्र.डी. 2 लगायत प्र.डी. 5 के दस्तावेज प्रदर्श अंकित कराया है, का अध्ययन किया गया। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 9 लगायत 12 में आयी साक्ष्य का अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य के आलोक में लेख किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

19. इसी प्रकार रामकुमार अग्रवाल (प्रति.सा.3) ने शेष मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 4 में प्र.डी. 6 लगायत प्र.डी. 8 के दस्तावेज को प्रदर्श अंकित कराया है, का अध्ययन किया गया। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 5 लगायत 7 में आयी साक्ष्य का अपील के निराकरण हेतु उपयोग नहीं है। प्रतिवादी क्रमांक 3 व 4 ने आलोच्य निर्णय एवं आज्ञाप्ति के विरुद्ध कोई अपील पेश नहीं की है।

20. उभयपक्ष द्वारा किए गए तर्कों को विचार में लिया गया। प्र.पी. 1 लगायत प्र.पी. 7 और प्र.डी. 1 लगायत प्र.डी. 9 की दस्तावेजी साक्ष्य का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया। उत्तरवादीगण क्रमांक 1 व 2 के पास ख.क्र. 157/3 में से रकबा 8 डिसमिल मूल स्वामी गंगाराम पिता जागोबा से उनके पिता के द्वारा दिनांक 04 दिसम्बर 1967 को क़य कर लेने, कब्जा प्राप्त कर लेने से वे भूमि स्वामी, स्वत्वाधिकारी, आधिपत्यधारी धारा 91 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार हो गये हैं, 04 दिसम्बर 1967 के पश्चात् यदि गंगाराम पिता जागोबा ने वादीगण के पिता या पितामह को यह भूमि विक्रय भी कि होगी तो विक्रय के समय विक्रेता के पास जो स्वत्व रहेगा उस सीमा तक स्वत्व पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर क्रेता को प्राप्त होता है इसलिए उत्तरवादी क्रमांक 1 व 2 के विरुद्ध दावा पेश अवश्य है, किंतु प्रमाणित किए जाने योग्य साक्ष्य न होने से और वादपत्र में वाद कारण उत्पन्न न होने की इबारत लेख न होने से वाद कारण के संबंध में साक्ष्य न होने से उचित रूप से वादीगण/अपीलार्थीगण का वाद विचारण न्यायालय ने निरस्त किया है जिसमें तथ्य, विधि की त्रुटि नहीं है, साक्ष्य के मूल्यांकन नहीं है, इसलिए हस्तक्षेप किए जाने योग्य नहीं है।

21. परिणामतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अस्वीकार कर निरस्त की जाती है।

{अ} उभयपक्ष का अपील व्यय अपीलार्थी/वादी वहन करेगा।

{ब} अधिवक्ता शुल्क नियमानुसार देय हो।

{स} तदनुसार डिक्री बनायी जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर  
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे डिक्टेसन पर टंकित।

सही /—

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट  
श्रृंखला न्यायालय बैहर

सही /—

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट  
श्रृंखला न्यायालय बैहर

**DECREE IN APPEAL FROM ORIGINAL DECREE**

(Civil Procedure Code, 1908, Order XLI, Rule 35)

CIVIL APPEAL No. 28 OF 2017

IN THE COURT OF माखनलाल झाड़ू द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट  
श्रृंखला न्यायालय बैहर1— अजय कुमार आयु 45 वर्ष पिता घनश्याम जाति कलार  
साकिन-बिठली तहसील बैहर जिला बालाघाट — — अपीलार्थी

// विरुद्ध //

1— दानबहादुर ठाकरे आयु 56 वर्ष पिता अमृतलाल जाति पंवार  
सी.ओ. कार्यालय मैगनीज ओर इंडिया लिमिटेड उकवा खान2— मुरली ठाकरे आयु 42 वर्ष पिता ईशुलाल जाति पंवार  
निवासी-उकवा तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट3— सेवकुमार आयु 40 वर्ष पिता योगराज  
निवासी-उकवा तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट4— रामकुमार आयु 57 वर्ष पिता जगन्नाथ जाति बनिया  
निवासी-उकवा तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट5— म0प्र0 शासन तर्फे कलेक्टर महोदय बालाघाट — — उत्तरवादीगण

=====

Appeal from the decree of the Court व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 बैहर dated  
the..16-02-2015...day ...Civil Suit No. 25A... of 2014.This appeal coming on for hearing on the 12-10-2017 day of before me  
in the presence of - - - -

श्री बी.एल. राणा अधिवक्ता .for the appellant and of

श्री आर.आर. पटले अधिवक्ता for the respondent No. 1, 2

श्री गणेश गोंडाने अधिवक्ता for the respondent No. 3, 4

उत्तरवादी कमांक 5 पूर्व से अनुपस्थित।

It is ordered and decreed that

प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अस्वीकार कर निरस्त की जाती है।

{अ} उभयपक्ष का अपील व्यय अपीलार्थी/वादी वहन करेगा।

{ब} अधिवक्ता शुल्क नियमानुसार देय हो।

{स} तदनुसार डिक्री बनायी जावे।

P.T.O.



The costs of this appeal, as detailed below amounting to Rupees 30/- are to be Paid by the **appellants.**

~~The cost of the original suit be paid by the~~

Given under my hand and the seal of the Court, this.. **14 day of Oct.2017.**

Sd/-

(माखनलाल झोड़)  
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट  
श्रृंखला न्यायालय बैहर

### COSTS OF APPEAL

	Appellant	Amount	Respondents	Amount
1.	Stamp for memorandum of appeal objections or Petitions	1020.00	Stamp for Power	30.00
2.	Stamp for Power	10.00	Stamp for Petition	-
3.	Stamp for Exhibits		Service of Processes	-
4.	Service of Processes	25.00	Pleader's fee on Rs. .... (प्रमाण पत्र पेश नहीं)	-
5.	Pleader's Fee on Rs..... (प्रमाण पत्र पेश नहीं)	-		
6.	Application			
	<b>Total :-</b>	1055.00	<b>Total :-</b>	30.00
( एक हजार पचपन रूपये सिर्फ )			(तीस रूपये सिर्फ)	

Sd/-

(माखनलाल झोड़)  
द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट  
श्रृंखला न्यायालय बैहर